दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग IV में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

राजस्व विभाग

5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली – 110054

सं फा. 1(12)डीसी/एमसी/2014/4392 दिनांक :21/5/2015

आदेश

सं फा. 1(12)डीसी/एमसी/2014/ यह कार्यकारी आदेश, 2005 की हस्तान्तरण याचिका (सी) 291 में श्रीमती सीमा बनाम अश्विनी कुमार नामक प्रकरण में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2006 के निर्णय में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन के लिये जारी किया जाता हैं।

जबकि उक्त उल्लिखित निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सम्बद्ध राज्यों/ संघराज्य क्षेत्रों में सम्पन्न विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण के लिये निदेश दिये।

और जबकि इसके अनुपालन में और दिल्ली में विवाह के पंजीकरण को नियंत्रित करने वाले कानून को समेकित करने के लिये इन कार्यकारी निर्देशों की एकसमान प्रक्रिया बनाने के लिये दिल्ली संघराज्य क्षेत्रों में हुए विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण के लिये इसके द्वारा जारी किये जाते हैं।

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

   (क) इस आदेश को (दिल्ली विवाह का अनिवार्य पंजीकरण) आदेश, 2014 कहा गया है।
   (ख) यह आदेश विवाह के पक्षकारों द्वारा घोषित जाति, पन्थ और धर्म को ध्यान रखे बिना दिल्ली में सम्पन्न हुए सभी प्रकार के विवाहों पर लागू होगा।
   (ग) यह आदेश शासकीय राजपत्र में अपनी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **विवाह का अनिवार्य पंजीकरण :–**

   (क) इस आदेश के प्रारम्भ होने पर, विवाह के सम्पन्न होने की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके किसी पुरूष तथा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी किसी महिला के बीच दिल्ली में सम्पन्न हुए किसी विवाह और पक्षकारों में कम से कम कोई एक भारतीय है, ऐसा विवाह, ऐसे विवाह के किसी पक्षकार या पक्षकरों द्वारा घोषित जाति, पन्थ और धर्म को ध्यान में रखे बिना इस आदेश के अनुसार अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। शर्त यह है कि यदि विवाह किसी प्रचलित कानून के

अनुसार पहले ही पंजीकृत हैं, तो इसे आदेश के अन्तर्गत पजीकृत कराना अपेक्षित नही होगा।

(ख) किसी प्रथा या परिपाटी में कुछ भी रहते हुए, जो विवाह के अनिवार्य पंजीकरण सम्बन्धी पूर्वोक्त प्रावधान की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो सकती हैं, जो इस आदेश के उपखण्ड (क) के प्रावधान का अध्यारोही प्रभाव होगा।

3. विवाह अधिकारी :–

इस ओदश के अनुसार विवाह के अनिवार्य पंजीकरण हेतु हिन्दु विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम या दिल्ली में तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून के अन्तर्गत विवाह अधिकारी को इसी आदेश के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण करने का भी अधिकार होगा।

शर्त यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस आदेश के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त विवाह अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है, और इस प्रयोजन के लिये सेवानिवृत्त किसी राजपत्रित अधिकारी को विवाह अधिकारी की शक्ति उसकी सेवानिवृति के बाद 5 वर्ष तक की अवधि के लिये और 65 वर्ष की आयु न पूरी कर चुके को सौंप सकती हैं।

4. प्रकिया :–

(क) 60 दिन की अवधि के भीतर, जिस दिन विवाह का अन्तिम समारोह संम्पन्न हुआ हैं, उस दिन का छोड़कर, पक्षकार विवाह पंजीकरण कराने के लिए क्षेत्राधिकार वाले विवाह अधिकारी को अपने विवाह के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र 'क' में संयुक्त रूप से आवेदन करेगे।

(ख) ऐसे निर्धारित आवेदन पत्र के साथ विवाह के दोनों पक्षकारों की आयु का, विवाह के सम्पन्न होने का, पक्षकारों की पहचान, विवाह के पक्षकारों को आवासीय स्थान का, पक्षकारों की नागरिकता संबन्धी दस्तावेज़ संलग्न होंगे, यदि कोई हो। इसके साथ दो सौ रूपये का अपेक्षित शुल्क होगा।

(ग) उक्त यथा निर्धारित आपेक्षित प्रलेखों सहित ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर और ऐसे प्रमाण की प्रमाणिकता संबन्धी विवाह अधिकारी की संन्तुष्टि होने पर प्रपत्र 'ख' के अनुसार इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रजिस्ट्रर में यह दर्ज किया जायेगा।

(घ) समस्त जानकारी से पूर्ण आवेदन प्राप्त करने के पश्चात तथा निर्धारित रजिट्रर में दर्ज करने के पश्चात् विवाह अधिकारी सम्बन्धित पक्षों को व्यक्तिगत रूप से दो गवाहों के साथ उपस्थित होने के लिए तिथि निश्चित करेगा जो उस विवाह के अनुष्ठान को प्रमाणित करेगे। इन गवाहों के पास दिल्ली के स्थाई निवास का सबूत होगा।

(ड.) निश्चित तिथि या किसी अन्य बढाई गई तिथि को सम्बन्धित पक्षों के गवाहों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर तथा दिल्ली में विवाह के अनुष्ठान के प्रति आश्वस्त होने पर विवाह अधिकारी फार्म 'ग' के अनुसार उस विवाह का अपेक्षित पंजीकरण प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

5. विवाह अधिकारी का क्षेत्राधिकार'–

विवाह अधिकारी को उसी क्षेत्राधिकार में विवाह के पंजीकरण का अधिकार होगा जिस जिले में विवाह का अनुष्ठान हुआ हैं।

उपबन्ध है कि उप–दण्डाधिकारी (मुख्यालय), अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा दिल्ली के जिला दण्डाधिकारी को सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी भी राजस्व जिले में अनुष्ठान किये गये विवाह के पंजीकरण का समवर्ती क्षेत्राधिकार होगा।

6. देरी की माफी :–

यदि निर्धारित 60 दिन के अवधि में विवाह का पंजीकरण नहीं होता है, तो विवाह अधिकारी को देरी की मांफी का अधिकार होगा और जो आगे 60 दिन से अधिक नही होनी चाहिए। और इसी लिए 500 रूपये के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर विवाह का पंजीकरण होगा।

7. निर्धारित अवधि में विवाह पंजीकरण न होने के परिणाम :–

यदि विवाह सम्बन्धी किसी पक्ष ने निर्धारित अवधि/ या बढाई गयी अवधि में अपना विवाह पंजीक्त नही करवाया है, तो उसे विवाह अधिकारी द्वारा लगाये गये 1000 रूपये का अर्थ दण्ड चुकाना होगा।

उपबन्ध है कि जिले का अतिरिक्त जिला अधिकारी / जिला दण्डाधिकारी, दिल्ली विवाह पंजीकरण न करवाये जाने के विषय में प्रार्थना पत्र देकर पंजीकरण न करवाने का उपयुक्त स्पष्टीकरण देता हैं, तो उक्त अर्थदण्ड या उसके किसी भाग को माफ कर सकाता है। तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी या जिला दण्डाधिकारी क्षेत्राधिकार वाले विवाह अधिकारी का अपेक्षित शुल्क तथा लगाये गये अर्थदण्ड के भुगतान करने पर विवाह को पंजीकरण करने हेतु निदेश देगा।

8. वैधता :–

इस आदेश के अनुसार विवाह पंजीकरण को विवाह की वैधता नहीं माना जायेगा क्योंकि यह विवाह के संबंधित पक्षों पर लागू होने वाले कानून, रिवाज तथा अपनाई गई परम्परा की विषय वस्तु हैं।

9. ई–पंजीकरण :–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विवाह के अनिवार्य पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने तथा मुलाकात का समय लेने के लिए विशेष पोर्टल तैयार करने के लिए प्रयत्न करेगा। इस पोर्टल पर वैकल्पिक रूप से आवेदन फार्म उपलब्ध होगे जिसे संबंधित पक्ष डाउनलोड करके विवाह पंजीकरण कार्यालयों के काउंटरों पर अपेक्षित दस्तावेजों के साथ जमा करा सकते हैं। आवेदन व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन जमा करने पर विवाह पंजीकरण की निश्चित तिथि सहित कम्पूटर द्वारा तैयार किया गया प्रथमिकता नम्बर भी आवेदको को प्राप्त होगा जिसे विवाह पंजीकरण हेतु विवाह अधिकारी के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा।

10. विवाह का तत्काल पंजीकरण :–

तत्कालिकता की स्थिति के वरीयता आधार पर विवाह पंजीकरण के लिए दस हजार रूपये के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर समनुरूप वैकल्पिक सुविधा भी उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर

(धर्म पाल)
मंडलीय आयुक्त

सं फा. 1(12)डीसी / एमसी / 2014 / दिनांक :

प्रतिलिपि :

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
3. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली।
4. सचिव, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार।
5. सचिव, (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, राजस्व मंत्रालय, दिल्ली
7. निजि सचिव, मंडलीय आयुक्त, दिल्ली।
8. निजि सहायक, अतिरिक्त सचिव (राजस्व), मुख्यालय दिल्ली।
9. उप सचिव (सा0प्र0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र भाग –4 असाधारण में प्रकाशनार्थ
10. समस्त उपायुक्त (राजस्व), दिल्ली।
11. समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (राजस्व), दिल्ली।
12. समस्त उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट (राजस्व), दिल्ली।
13. एस0डी0एम0(मुख्यालय–1), 5, शाम नाथ, दिल्ली।
14. एस0डी0एम0(मुख्यालय–2), 5, शाम नाथ, दिल्ली।
15. एस0डी0एम0(मुख्यालय–3), 5, शाम नाथ, दिल्ली।
16. एस0डी0एम0(मुख्यालय–4), 5, शाम नाथ, दिल्ली।
17. सिस्टम विश्लेषक को विभाग की वैब साइड पर डालने हेतु।

(अशोक कुमार शर्मा)
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी- IV(मुख्यालय)

"ग" प्रपत्र

कार्यालय, विवाह अधिकारी

जिला———————

दिल्ली सरकार (भारत)

दिल्ली (अनिवार्य विवाह पंजीकरण) आदेश, 2014 के अन्तर्गत विवाह प्रमाण पत्र

क्र0 सं0 पंजीकरण संख्या एवं तिथि

प्रमाणित किया जाता है कि

पत्नी की फोटोग्राफ का स्थान

कुमारी.....सुपुत्री श्री ..... एवं श्रीमती .....
..... निवास .....
आयु.....जन्म तिथि.....

एवं

पति के फोटोग्राफ का स्थान

श्री.....सुपुत्र श्री .....एवं श्रीमती.....
..... निवास स्थान.....
.....आयु.....जन्म तिथि.....

के बीच विवाह

पक्षकारों द्वारा अपनाई गई प्रथा के अनुसार दिल्ली में दिनांक ..... हुए विवाह के निम्नलिखित साक्षी हैं:–

1. श्री/श्रीमती .....सुपुत्र/पत्नी/पुत्री.....
   निवास स्थान .....
2. श्री/श्रीमती .....सुपुत्र/पत्नी/पुत्री.....
   निवास स्थान .....

इस कार्यालय में प्रस्तुत विवरण के आधार पर ..... दिल्ली/नई दिल्ली में सम्पन्न हुए विवाह के संबंध में विवाह अधिकारी का कार्यालय जिला ..... पर दिनांक ..... को विधिवत् पंजीकृत किया गया।

आवेदक के हस्ताक्षर/पत्नी .....

आवेदक के हस्ताक्षर/पति .....

यह वर्ष ..... के माह..... के दिन/दिनांक..... विवाह अधिकारी के हस्ताक्षर/मोहर के अन्तर्गत जारी किया गया।

''ख'' प्रपत्र

दिल्ली (विवाह का अनिवार्य पंजीकरण) आदेश 2014 के अन्तर्गत विवाह का पंजीकरण

क्र0 सं0	आवेदन पत्र की संख्या एवं तिथि	विवाह की तिथि एवं स्थान	आवेदकों के नाम एवं माता–पिता		आवेदकों की आयु तथा जन्म की तिथि		आवेदकों की राष्ट्रीयता		आवेदकों का कोई स्थाई निवास स्थान हो, तो उल्लेख कीजिए		टेलिफोन संख्या एवं ई–मेल आईडी (यदि कोई हो) सहित वर्तमान निवास स्थान		आवेदकों के हस्ताक्षर		दो साक्षियों के नाम तथा विवरण	साक्षियों के हस्ताक्षर	पंजीकरण की तिथि सहित विवाह अधिकारी के हस्ताक्षर
			पति	पत्नी	पति	पत्नी	पति	पत्नी	पति	पत्नी	पति	पत्नी	पति	पत्नी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18